

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रोजगार सूचना सं उप-निरीक्षक/रेसुब - 02/2018

(रेल सुरक्षा बल एवं रेल सुरक्षा विशेष बल में उप-निरीक्षकों की 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में लेवल 6 के रू. 35,400/- के प्रारंभिक वेतन एवं भत्ते में भर्ती)

ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन खुलने की तिथि: दिनांक 01-06-2018 को 10.00 बजे

रजिस्ट्रेशन बंद होने की तिथि: दिनांक 30-06-2018 को 23.59 बजे

कंप्यूटर आधारित परीक्षा की संभावित तिथि (सीबीटी) : सितम्बर एवं अक्टूबर 2018 में

भारतीय रेल के विभिन्न क्षेत्रों में रेल सुरक्षा बल एवं रेल सुरक्षा विशेष बल में उप निरीक्षकों की रिक्तियों में 7वें वेतन आयोग 'पे मैट्रिक्स' के लेवल 6 में भर्ती के लिए पात्र पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। केवल सभी संदर्भों में पूर्ण आवेदन, दिनांक 30.06.2018 के 23.59 बजे से पूर्व ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उन्हें / वे आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि तक पद के लिए निर्धारित प्रत्येक योग्यता प्राप्त है / पात्रताएं पूरी करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले अभ्यर्थी कृपया आवेदन न करें।

- 1) सभी आवेदन केवल भारतीय रेलवे के वेबसाइटों के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएं। आवेदन जमा करने का कोई अन्य तरीका अनुमेय नहीं है। प्रत्येक अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन भरें। इस रोजगार सूचना के अंतर्गत एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य और वर्जित माना जाएगा।
- 2) ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही अभ्यर्थी की पात्रता पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन की प्रति या प्रमाण पत्र की प्रतियां केन्द्रीयकृत रोजगार समिति (सीआरसी) को डाक से भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि भर्ती की प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके पश्चात, किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचना गलत होने / सही न होने पर अथवा संबंधित सूचना को छिपाए जाने अथवा अभ्यर्थी द्वारा पद (पदों) के लिए अपेक्षित मानदंड पूरे नहीं किए जाने का संज्ञान होता है तो उसकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी।
- 3) अभ्यर्थी क्षेत्रीय रेलवे के एक समूह अथवा आरपीएसएफ के रिक्त पदों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय रेलवे के एक समूह में उन्हें उस समूह की क्षेत्रीय रेलों की प्राथमिकता दर्शानी अपेक्षित है। अभ्यर्थी को केवल उस समूह के रिक्त पदों हेतु विचार किया जाएगा और उन्हें मेधा और प्राथमिकता के आधार पर एक ही क्षेत्रीय रेलवे आवंटित किया जाएगा।

- चयनित होने पर अभ्यर्थी को सामान्यतया आवंटित क्षेत्र / आरपीएसएफ में अपनी सेवाएं देनी होंगी। हालांकि, चयनित अभ्यर्थी को देश में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।
- 4) जो अभ्यर्थी आरपीएसएफ का विकल्प चुनते हैं उन्हें राजपत्रित श्रेणी में पदोन्नति तक आरपीएसएफ में ही सेवाएं देनी होंगी।
 - 5) एक से अधिक समूह के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थी के सभी आवेदन रद्द कर दिए जायेंगे।
 - 6) रिक्तियां पूर्णतः अस्थायी हैं और वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। प्रशासन अपने विवेक के आधार पर अधिसूचित नियुक्तियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - 7) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे चिकित्सा मानक (मानकों) को पूरा करते हैं। उप-निरीक्षक पद हेतु अगर अभ्यर्थी को चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
 - 8) किसी पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद / परीक्षा के लिए सभी वांछित अर्हताएं प्राप्त हैं। अधिसूचित पद के लिए अभ्यर्थियों का सीबीटी में नामांकन उनके द्वारा ऑन लाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर की जाएगी। नियुक्ति के किसी भी चरण में या उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाइन आवेदन में दी गई जानकारी गलत होने / सही न होने अथवा संबंधित सूचना को छिपाये जाने या उस पद के लिए अपेक्षित मानदंड पूरा नहीं किए जाने का संज्ञान होता है तो उनकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
 - 9) वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में प्रारंभिक वेतन रूपया 35,400/- और उस समय स्वीकार्य अन्य सभी भत्ते।
 - 10) आयु: 01.07.2018 को अभ्यर्थी की उम्र 20-25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट के संबंध में पैरा 3.0 (5) देखें।
 - 11) परीक्षा के चरण: ऑन लाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) ली जाएगी। जो संभवतः सितम्बर- अक्टूबर में आयोजित होगी। योग्यता सूची में अंक अर्जित करने वाले सीबीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी (श्रेणीवार अधिसूचित रिक्तियों का 10 गुणा) शारीरिक दक्षता परीक्षा(पीईटी) एवं शारीरिक माप जांच (पीएमटी) और दस्तावेजों का सत्यापन (डीवी) किया जाएगा, हालांकि अगर अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी पीईटी / पीएमटी में उत्तीर्ण नहीं होते हैं और किसी भी श्रेणी / समूह की रिक्तियों में पुरुष / महिला / पूर्व सैनिकों को नहीं भर पाते हैं तो खाली रहने वाली रिक्तियों के लिए अतिरिक्त 10 गुणा अभ्यर्थियों को पीईटी / पीएमटी के प्रथम चक्र के बाद बुलाया जाएगा। पीईटी / पीएमटी का अधिकतम दो चक्र आयोजित किया जाएगा।
 - 12) परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटाप, कैलकुलेटर, हाथ घड़ी अथवा अन्य कोई संचार उपकरण अथवा पैन / पेंसिल लाना सख्त मना है। इन निर्देशों के प्रति किए जाने वाले उल्लंघन के परिणामस्वरूप अभ्यर्थिता रद्द करने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आगे की परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिबंध लगाया

जाना भी शामिल है। अभ्यर्थियों को उन्हीं के हित में परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन सहित प्रतिबंधित सामान साथ न लाने का परामर्श दिया जाता है क्योंकि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए किसी प्रकार का आश्वासन दिया जाना संभव नहीं है।

- 13) सीआरसी द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने तक चूंकि भर्ती से संबंधित प्रत्येक सूचना केवल एसएमएस अथवा ईमेल से भिजवाई जाती है, अतः अभ्यर्थी के पास अपना मोबाइल नम्बर एवं वैध तथा कार्यरत (चालू) ईमेल पता अंतिम परिणाम घोषित होने तक होना चाहिए। किसी भी स्तर पर मोबाइल नम्बर और ईमेल परिवर्तन के लिए अनुरोध पर सीआरसी विचार नहीं करेगा।
- 14) अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, भारतीय रेलवे के वेबसाइट पर उपलब्ध रोजगार सूचना में दिए गए निर्देश एवं जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें।
- 15) अभ्यर्थी को यह सूचित किया जाता है कि सिर्फ भारतीय रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर ही विजिट करें और नकली वेबसाइटों एवं नौकरी घोटालेबाजों से सावधान रहें।
- 16) इन पदों को विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है और विकलांग व्यक्ति को सामान्य अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 की धारा 33 और 47 के दायरे से छूट दी गई है।

1.0 सामान्य निर्देश:

- 1.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) सभी जोनल रेलवे और आरपीएसएफ के लिए एक साथ आयोजित की जाएगी ।
- 1.2 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए जाने की शर्त के साथ पूर्णतः अस्थायी होगी ।
- 1.3 अभ्यर्थियों को ई-बुलावा पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी अभ्यर्थिता अंततः सीआरसी द्वारा स्वीकार की गई है ।
- 1.4 सीआरसी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की अभ्यर्थिता को खारिज कर सकता है यदि अभ्यर्थी आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता है और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को सेवा से हटा दिया जाएगा।
- 1.5 इस अधिसूचना में अधिसूचित पद के लिए आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी को स्वयं संतुष्ट हों कि वह आयु, ऊंचाई, छाती, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक और चिकित्सा मानकों सहित सभी योग्यता मानदंडों को पूरा करता है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस रोजगार सूचना के लिए आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड/ संस्थान से उसके पास वांछित योग्यता हो। जो निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे आवेदन के पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

- 1.6 नाम / पिता का नाम / श्रेणी / शैक्षणिक योग्यता जैसे विभिन्न विवरणों के साथ एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
- 1.7 अभ्यर्थियों को अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि का उल्लेख केवल 10वें/मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार ही करना चाहिए। नाम परिवर्तन की स्थिति में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में परिवर्तित नाम का उल्लेख करना चाहिए। तथापि, मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्रों में दिए गए विवरण अवश्य अनुकूल होना चाहिए। ऐसे परिवर्तन (परिवर्तनों) की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व होनी चाहिए। ऐसे मामलों के लिए लागू राजपत्रित अधिसूचना अथवा अन्य विधिक दस्तावेज, दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- 1.8 यदि अभ्यर्थी ने अपना नाम परिवर्तित किया है, तो राजपत्रित अधिसूचना या लागू होने वाले किसी अन्य विधिक दस्तावेज को दस्तावेज सत्यापन के समय जमा किया जाना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन में अपना परिवर्तित नाम का उल्लेख करना चाहिए। तथापि, या समकक्ष प्रमाण पत्रों में दिए गए विवरण अवश्य अनुकूल होना चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व होनी चाहिए।
- 1.9 अभ्यर्थियों द्वारा सभी दस्तावेजों पर रनिंग हैंडराइटिंग में एक समान हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा यह ब्लॉक / कैपिटल अथवा असंबंध अक्षरों में नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, पीईटी / पीएमटी और डीवी आदि के समय विभिन्न स्वरूपों या भाषा में किए जाने वाले हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- 1.10 पीईटी और पीएमटी में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर और दोनों अंगूठों के डिजिटल इंप्रेशन लिए जाएंगे।
- 1.11 परीक्षा की तिथि भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद, सीबीटी, पीईटी और डीवी (जो लागू हो) के लिए ई-बुलावा पत्र केवल भारतीय रेलवे की वेबसाइटों से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बुलावा पत्र में उल्लेखित परीक्षा केंद्र, तिथि और पारी अपरिवर्तनीय होगी।
- 1.12 रोजगार सूचना में उल्लेखित रिक्तियां अस्थायी हैं तथा इनमें बढ़त अथवा घटत या कुल में शून्य हो सकती है या किसी विशेष समुदाय / पदों / इकाइयों के संबंध में रेलवे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बाद में बदल सकती है। बाद के स्तर पर भी रेलवे आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं। बिना कोई कारण बताए सीआरसी, सीबीटी, पीईटी, पीएमटी, डीवी तथा अतिरिक्त डीवी परीक्षा, अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन का अधिकार सुरक्षित रखता है। रेलवे प्रशासन अपने विवेकानुसार अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने की स्थिति में, अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 1.13 अभ्यर्थियों द्वारा सिर्फ अंग्रेजी में ही आवेदन भरा जाएगा।

- 1.14** अभ्यर्थियों को यह साबित करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन में दी गई सभी जानकारी सत्य है।
- 1.15** अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय प्रस्तुत किए गए वैध जाति प्रमाण पत्र के विवरण के अनुसार चयन के विभिन्न चरणों यथा सीबीटी / पीईटी/ पीएमटी / डीवी (जैसा भी लागू हो) में भाग लेने के लिए जारी ई - बुलावा पत्र का उपयोग मुफ्त स्लीपर श्रेणी रेलवे पास के लिए स्वीकार्य होगा।
- 1.16** आरक्षण या यात्रा के दौरान आरक्षण क्लर्क / टिकट जांच करने वाले कर्मचारी, अभ्यर्थी की यथार्थता के सत्यापन के लिए उससे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के वैध प्रमाण पत्र की मांग कर सकेंगे। इस यात्रा के प्राधिकार के दुरुपयोग के लिए किए जाने वाले किसी प्रयास के परिणामस्वरूप, अभ्यर्थी को आगे की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किए जाने के साथ ही चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- 1.17** सीआरसी को आवश्यकता समझे जाने पर तथा लागू किए जाने की स्थिति में रोजगार सूचना के अंतर्गत भर्ती के नियमों में किसी प्रकार की अनुवर्ती परिवर्तन / संशोधन / संवर्धन का समावेश करने का अधिकार है।
- 1.18** अंतिम क्षणों में भीड़ (व्यस्तता) से बचने के लिए अभ्यर्थियों को उन्हीं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन को अंतिम तिथि के पर्याप्त समय से पूर्व जमा करवा दें क्योंकि अंतिम दिनों के दौरान इंटरनेट अथवा वेबसाइट पर भारी लोड होने के कारण भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता / असफलता हो सकती है। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि तक उपर्युक्त कारणों अथवा किसी अन्य कारणों से अपने आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में सीआरसी द्वारा किसी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 1.19** चयनित अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा।

2.0 रिक्तियां

सब-इंस्पेक्टर पद की रिक्तियों के संबंध में क्षेत्रीय रेलों के ग्रुप और आरपीएसएफ का क्रमवार विवरण सुलभ संदर्भ के लिए निम्नलिखित है-

ग्रुप	क्षेत्रीय रेलवे	पुरुष					महिला				
		अनारक्षित	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अनारक्षित	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल
ए	द.रे., द.प.रे एवं द.म.रे	75	9	21	21	126	29	5	9	9	52
बी	म.रे, प.रे, प.म.रे एवं द.पू.म.रे	59	24	13	48	144	22	11	5	18	56
सी	पू.रे., पू.म.रे., द.पू.रे. एवं पू.त.रे	149	49	21	68	287	59	18	9	26	112

डी	उ.रे., उ.पू.रे., उ.प.रे. एवं उ.म.रे.	96	36	10	31	173	39	14	4	12	69
ई	उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे	21	5	1	3	30	8	2	1	1	12
एफ	आर.पी.एस.एफ.	54	1	3	1	59	--	--	--	--	--
	कुल	454	124	69	172	819	157	50	28	66	301

नोट I : भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, पूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक जोन के पुरुषों और महिलाओं की संयुक्त रिक्तियों का प्रतिशत 10% होगा ।

नोट II : चूंकि ईएसएम और महिलाओं का आरक्षण एक बराबर है, तो भर्ती के दौरान उपयुक्त ईएसएम और महिलाओं के अभाव में रिक्त पड़े पदों को वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा ।

नोट III : संक्षिप्तियों का विवरण :

म.रे. = मध्य रेलवे, पू.रे.=पूर्वी रेलवे, पू.त.रे.=पूर्व तट रेलवे, पू.म.रे.=पूर्वी मध्य रेलवे, उ.रे.=उत्तर रेलवे, उ.म.रे.=उत्तर मध्य रेलवे, उ.पू.रे.=उत्तर पूर्वी रेलवे, उ.पू.सी.रे.=उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, उ.प.रे.=उत्तर पश्चिम रेलवे, द.रे.=दक्षिण रेलवे, द.म.रे.=दक्षिण मध्य रेलवे, द.पू.रे.=दक्षिण पूर्व रेलवे, द.पू.म.रे.=दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, द.प.रे.=दक्षिण पश्चिम रेलवे, प.रे.=पश्चिम रेलवे, प.म.रे.=पश्चिम मध्य रेलवे, यू.आर.=अनरिज़र्वड [अनारक्षित (सामान्य)], अनु.जा.=अनुसूचित जाति, अनु.ज.जा.=अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व.=अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.एस.एम=एक्स सर्विसमैन (पूर्व सैनिक)

3.0 अभ्यर्थियों की पात्रता :

- अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए ।
- वे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में भर्ती कराया जा सकता है लेकिन नियुक्ति की पेशकश केवल भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही दी जा सकती है ।
- शैक्षणिक योग्यता और आयु :**

श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता	आयु	
		न्यूनतम	अधिकतम
उप निरीक्षक (कार्यपालक)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	20	25

नोट: उप निरीक्षक (कार्यपालक) के पदीय चयन हेतु केवल एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री ही वैध होगी। उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले लोग **कृपया आवेदन न करें**।

iv. **शारीरिक मापन :**

श्रेणी	उंचाई (सें.मी. में)		छाती (सें.मी. में) (केवल पुरुषों के लिए)	
	पुरुष	महिला	बिना फुलाए	फुलाकर
यू.आर./ओ.बी.सी.	165	157	80	85
एस.सी./एस.टी.	160	152	76.2	81.2
गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी और सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य श्रेणियों के लिए	163	155	80	85

- v. केवल मैट्रिक या उसके समतुल्य प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि ही स्वीकार्य होगी। रोजगार सूचना में उल्लिखित न्यूनतम एवं उच्चतम आयु सीमा को 1 जुलाई 2018 तक के लिए माना जाएगा। नीचे नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा/अधिकतम आयु सीमा में छूट, आवश्यक प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण पर निर्भर है :

क्रम सं	श्रेणी	उच्चतम आयु के बाद अनुमत आयु छूट
1	अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थी	5 साल
2	अ.पि.व-नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी	3 साल
3	अनुप्रमाणन के पश्चात जिन पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों ने 6 महीनों की निरंतर सेवा प्रदान की है	सैन्य बल में प्रदान की गई सेवा के अतिरिक्त अनारक्षित -3 साल अ.पि.व-नॉन क्रीमी लेयर-6 साल अ.जा./अ.ज.जा.-8 साल
4.	जो अभ्यर्थी 1 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी थे (अनारक्षित)	अनारक्षित -5 साल अ.पि.व-नॉन क्रीमी लेयर-8 साल अ.जा./अ.ज.जा.-10 साल

5.	पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के अलावा वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (अनारक्षित) जिन्होंने निर्धारित तिथि पर 3 साल से की नियमित एवं निरंतर सेवा प्रदान की है	अनारक्षित -5 साल अ.पि.व-नॉन क्रीमी लेयर-8 साल अ.जा./अ.ज.जा.-10 साल
6.	विधवा,तलाकशुदा महिलायें और वे महिलाएं जो कानूनी तौर पर पति से अलग हैं किन्तु पुनः शादी की हैं	अनारक्षित -2 साल अ.पि.व-नॉन क्रीमी लेयर-5 साल अ.जा./अ.ज.जा.-7 साल

vi. **अभ्यर्थियों की जन्मतिथि निम्नलिखित तिथियों के बीच होनी चाहिए :(दोनों तिथियां शामिल है)**

क्रम सं	आयु वर्ग	जन्म तिथि की उच्चतम सीमा (उससे पूर्व नहीं)			जन्म तिथि की न्यूनतम सीमा (उसके बाद नहीं)
		अनारक्षित	अ.पि.व-नॉन क्रीमी लेयर	अ.जा./अ.ज.जा.	सभी श्रेणियों/ किसी श्रेणी के लिए
1.	20-25	02.07.93	02.07.90	02.07.88	01.07.98

नोट: यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के योग्य है तो उसे आयु छूट की अधिकतम सीमा(समेकित नहीं) का लाभ प्रदान किया जाएगा जिसके वह योग्य है ।

वे अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व-नॉन क्रीमी लेयर(एनसीएल) के अभ्यर्थी जिन्होंने अनारक्षित रिक्तियों के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया है,उन्हें कोई आयु छूट नहीं दी जाएगी।

4.0 परीक्षा शुल्क :

इस रोजगार सूचना में अधिसूचित पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करना होगा :

क्रम सं	अभ्यर्थियों की श्रेणियां	शुल्क
1.	सीबीटी में उपस्थित होने पर क्रम सं 2 में नीचे उल्लिखित शुल्क रियायती श्रेणियों को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों के लिए विधिवत बैंक प्रभार काटते हुए रु.400/- वापस कर दिए जाएंगे।	रु.500/-
2.	सीबीटी में उपस्थित होने पर अ.जा./अ.ज.जा./पूर्व सैनिक/ महिला/अल्पसंखक/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विधिवत बैंक प्रभार काटते हुए रु.250/-वापस कर दिए जाएंगे ।	रु.250/-

नोट: अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने की स्थिति में, परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ।

4.1 शुल्क-भुगतान विधि :

- I. इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान ।
- II. ऑफलाइन शुल्क भुगतान
 - क) एस बी आई की किसी भी शाखा में एस बी आई बैंक चालान भुगतान द्वारा ।
 - ख) कंप्यूटरिकृत डाकघर की किसी भी शाखा में डाकघर चालान भुगतान के माध्यम से ।

उन अभ्यर्थियों के लिए जो 30.06.2018 के 23.59 बजे तक स्वयं को पंजीकरण कर लेते हैं, उनके लिए 02.07.2018 के 23.59 बजे तक ऑनलाइन भुगतान की अनुमति होगी और 05.07.2018 के 23.59 बजे तक ऑफलाइन भुगतान की अनुमति होगी । हालांकि पंजीकरण की पुष्टि केवल शुल्क के भुगतान पर ही की जाएगी ।
- III. सभी लागू सेवा-शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन की जाएगी । यदि शुल्क ऑफलाइन मोड के माध्यम से भुगतान किया गया है, जैसा कि उपरोक्त (II) क) और ख) में हुआ है, तो रसीद को संरक्षित करके रखा जाए । दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जाए ।
- IV. अधिसूचना की समाप्ति-तिथि तक अल्पसंख्यकों में मुसलमान, इसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी शामिल हैं, बशर्ते कि उनमें कोई संशोधन/समाप्ति/समावेशन नहीं किया गया हो । परीक्षा शुल्क के छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर "अल्पसंख्यक श्रेणी घोषणा" हलफनामा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जो कि उपरोक्त अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी एक में हों, जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।
- V. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के अभ्यर्थी वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/- रु. से कम है । ऐसे अभ्यर्थियों के पास निर्धारित प्रारूप में वैध आय प्रमाण पत्र या फिर जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटर हेड पर होना चाहिए । ऑनलाइन आवेदन के समय प्रमाण पत्र का विवरण भरा जाना चाहिए एवं इसे दस्तावेज-सत्यापन के समय जमा किया जाना चाहिए । बीपीएल कार्ड धारी अभ्यर्थी भी ईबीसी के तहत शुल्क-रियायत के पात्र हैं एवं ऑनलाइन आवेदन में इन सभी अभ्यर्थियों को शुल्क-रियायत मांगने के लिए प्रासंगिक विवरण भरा जाना चाहिए ।
- VI. सीबीटी में उपस्थित अभ्यर्थी शुल्क वापसी के पात्र होंगे । परीक्षा शुल्क वापसी (लागू होने वाली राशि) के लिए, उन्हें लाभार्थी खाते का ब्योरा देना होगा जैसे कि लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता सं. एवं आईएफएससी कोड ।
- VII. जहां भी परीक्षा शुल्क लागू हो, उसके बिना आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

5.0 आरक्षण :

- I. इस रोजगार अधिसूचना में अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिक्ति तालिका में उल्लिखित यथावश्यक एवं अनुमेय आरक्षण उपलब्ध है ।
- II. मानदंडों की पूर्ति के अधीन यदि कोई अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के सारे मानदंडों को पूर्ण करता है, तो चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, उसे उसी अनारक्षित रिक्ति वर्ग के तहत रखा जाएगा । हालांकि विशिष्ट समुदायों (अ.जा./अ.ज.जा., अ.पि.व. -एनसीएल) के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए, केवल उस वर्ग के अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा ।
- III. अनुलग्नक ए (अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के लिए) एवं अनुलग्नक बी (अ.पि.व-एनसीएल अभ्यर्थियों के लिए) में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व-एनसीएल के लिए आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र को दस्तावेज-सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा ।
- IV. अ.पि.व.-एनसीएल अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3, दिनांक 08.09.93 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93 - स्थापना (एससीटी) एवं दिनांक 09.03.2004, 27.05.2013, 13.09.2017 के पुनः संशोधित का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्थापना (आरईएस) में निर्दिष्ट व्यक्तियों/सेक्शनों के अंतर्गत नहीं हैं । इस अधिसूचना में जारी पद के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे अ.पि.व-एनसीएल श्रेणी के अंतर्गत हैं । ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज-सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रोफार्मा में वैध अ.पि.व प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । इसके अलावा, दस्तावेज-सत्यापन के समय श्रेणी प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में एक वैध प्रमाण पत्र देना होगा कि वह क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता है । यह इस शर्त पर निर्भर है कि जब तक कोई अभ्यर्थी अ.पि.व. की रिक्तियों के तहत आरक्षित श्रेणी (अ.पि.व-एनसीएल) के सभी पात्रता नियमों को पूरा नहीं करता, तब तक उसे अ.पि.व. वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन अनारक्षित वर्ग में विचार किया जाएगा ।
- V. अनुसूचित जाति /जनजाति, अ.पि.व. -एनसीएल के अभ्यर्थी, जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करते हों, वे अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं । हालांकि उन्हें अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी एवं अनारक्षित रिक्तियों के तहत आवेदन करने पर उन्हें उम्र सहित किसी भी अन्य छूट के पात्र नहीं होंगे । हालांकि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अपनी वास्तविक श्रेणी का उल्लेख करना होगा ।
- VI. रोजगार सूचना की समाप्ति तिथि की श्रेणी-स्थिति को ही आरक्षण सुविधाएं प्राप्त करने का मानदंड समझा जाएगा एवं इसके पश्चात् किसी अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी-स्थिति में किया गया बदलाव मान्य नहीं होगा ।

6.0 पूर्व सैनिक (ईएसएम)

6.1 भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य है, वह व्यक्ति जिसने नियमित रूप से भारतीय संघ के थल सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में किसी श्रेणी(कॉम्बेटेंट अथवा नॉन-कॉम्बेटेंट) पर रहकर देश की सेवा की हो परंतु ऐसे व्यक्ति को इस वर्ग में नहीं माना जाएगा जिसने डिफेंस सिक्यूरिटी कोर्प्स, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना और पारामिलिट्री सेना में काम किया हो।

तथा ऐसे व्यक्ति भी उक्त वर्ग में शामिल नहीं होंगे -

- क. जो या तो स्व अनुरोध पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त अथवा कार्यमुक्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों या अपने पेंशन के साथ नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किए गए हों (अथवा)
- ख. जो चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से कार्यमुक्त हुए हों, यह चिकित्सा आधार सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों तथा चिकित्सक या किसी अन्य पंगुता पेंशन के कारण । (अथवा)
- ग. जिसे इस प्रकार की सेवा से स्थापना में कमी के कारण मुक्त किया गया हो । (अथवा)
- घ. जिसे आबंधन की विशेष अवधि को पूरा करने के बाद या अन्यथा स्वअनुरोध पर या बर्खास्तगी या अक्षमता या कदाचार के कारण कार्यमुक्त किया गया है और उसे उपदान दी गई है और इसमें प्रादेशिक सेना के कर्मियों को शामिल किया गया है जैसे निरंतर सेवा के पेंशन धारक और अनियमित अर्हक सेवा के कारण या
- ङ. सेना डाक सेवा के कर्मी जो नियमित सेना के भाग हैं तथा अपनी मूल सेवा में पत्यावर्तन हुए बिना पेंशन सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं या चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और सैन्य सेवा या नियंत्रण से परे वृद्धि हुई परिस्थितियों तथा चिकित्सा या अन्य अक्षमता पेंशन से सम्मानित हों (या)
- च. वो कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व छः महीने से अधिक के लिए सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्त हों (या)
- छ. प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशत्र बल के शौर्य पुरस्कार विजेता, या
- ज. पूर्व-भर्ती हुए कार्मिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है तथा दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान की गई है ।

6.2 संघ के सशत्र बल में सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर पूर्व सैनिक के वर्ग में आते हैं, आबंधन के विशिष्ट निबंधन के पूर्ण होने के एक वर्ष पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं तथा पूर्व सैनिक के लिए उपलब्ध सभी छूट प्राप्त कर सकते हैं परंतु ऐसे व्यक्तियों को संघ के सशत्र बल में आबंधन का विशिष्ट निबंधन पूरा करने तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं है ।

पूर्व सैनिक के रूप में सत्यापित होने के बाद अभ्यर्थी छः माह की निरंतर सेवा अवश्य पूरी किया हो ।

तदनुसार ऐसे सेवारत सेना कर्मी को रोजगार सूचना की अंतिम तिथि के एक वर्ष के भीतर (दिनांक 30.06.2019 को या पहले) कार्यमुक्त किया गया हो, पूर्व सैनिक एवं उनके लिए अनारक्षित पदों की रिक्ति के लिए भी आवेदन कर सकते हैं ।

- 6.3 पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो केन्द्र सरकार के ग्रुप सी एवं डी के अधीन पूर्व सैनिक को देय सुविधाओं का आहरण करते हुए नागरिक रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं परंतु उन्हें केन्द्र सरकार के तहत ग्रुप सी एवं डी में उच्च ग्रेड या संवर्ग में दूसरा नागरिक रोजगार प्राप्त करने के लिए केवल पूर्व सैनिक हेतु निर्धारित आयु छूट की सुविधा की अनुमति होगी । ऐसे अभ्यर्थियों को केन्द्र सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।
- 6.4 यदि एक पूर्व सैनिक किसी नागरिक रोजगार में नियुक्त से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी उत्तरवर्ती रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण की सभी लाभ प्राप्त कर सकता है वर्यते इस शर्त के लिए जैसे कोई पूर्व सैनिक नागरिक रोजगार में नियुक्त होता है, वह जैसे ही किसी सिविल रोजगार में ज्वाइन करे संबंधित नियोक्त को इस सूचना के बारे में आवेदन के विवरण के संबंध में स्व घोषणा/वचनबंध देगा । नियोक्ता से प्राप्त आनापत्ति-प्रमाण पत्र के साथ इस घोषणा की प्रति की पावती दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की जाए, इसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी । आगे, यह सुविधा केवल तभी उपलब्ध होगी जब रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा ही की जाएगी और जहां पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू होगा ।
- 6.5 'पूर्व सैनिक' की परिभाषा में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं केन्द्रीय पुलिस संगठन के सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कार्मिक शामिल नहीं हैं । पूर्व सैनिक की श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रपत्र में वर्ग प्रमाणपत्र सहित सभी दस्तावेजी प्रमाण पस्तुत करें।
- 6.6 पूर्व सैनिक का चिकित्सा मानक भारतीय रेल चिकित्सा नियमवली भाग-1 के पैरा-534 के अनुसार होगा, जो www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है ।

7.0 अनापत्ति प्रमाण पत्र:

रेल या किसी केन्द्र/राज्य सरकारी विभाग में सेवारत अभ्यर्थी (जो आधारिक प्रशिक्षण/प्रशिक्षु सहित) अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे आवेदन कर सकते हैं । सूचीबद्ध अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र अपने दस्तावेज सत्यापन की तिथि को प्रस्तुत करे, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी ।

नोट: अभ्यर्थी नोट कर लें कि यदि सीआरसी द्वारा उनके नियोक्ता द्वारा कोई संप्रेषण प्राप्त होने पर परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/में भाग लेने वाले अभ्यर्थी के लिए संबंधित रोकने की अनुमति, उनका आवेदन/अभ्यर्थिता अस्वीकार/रद्द हो सकती है ।

8.0 भर्ती प्रक्रिया:

आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अधिसूचित पद के लिए रोजगार सूचना हेतु अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाना है। पूरी भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट(सीबीटी,) शारीरिक दक्षता परीक्षा(पीईटी) एवं शारीरिक मापन परीक्षा(पीएमटी) और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल होगा।

सभी गतिविधियों के लिए दिनांक, समय और स्थान, अर्थात् सीबीटी, पीईटी, पीएमटी और डीवी या लागू होने वाली कोई अन्य अतिरिक्त गतिविधि सीआरसी द्वारा तय की जाएगी जिसकी सूचना निर्धारित समय पर दी जाएगी। उपर्युक्त गतिविधि में से किसी एक के स्थगन के लिए या स्थान, तिथि और शिफ्ट के परिवर्तन के लिए अनुरोध किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं किया जाएगा।

चरण - 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा(सीबीटी)

- i) सभी समूहों के लिए देश भर के विभिन्न केन्द्रों में सीबीटी के लिए दिनांक और समय का आयोजन एक साथ किया जाएगा।
- ii) अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए निम्नलिखित भाषा विकल्प होंगे(सीबीटी), जिनमें से वे किसी एक का चयन कर सकते हैं -
 - 1)हिंदी 2)अंग्रेजी 3)उर्दू 4)तमिल 5)तेलुगु 6)कोंकणी 7)मलयालम
 - 8)कन्नड़ 9)मराठी 10)बंगाली 11)ओडिया 12)गुजराती 13)असमिया
 - 14)मणिपुरी एवं 15)पंजाबी
- iii) परीक्षा का स्तर स्नातक स्तर का होगा।
- iv) अभ्यर्थियों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। उत्तर न दिए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक न दिया/काटा जाएगा।
- v) सीबीटी के लिए दिनांक, स्थान, रिपोर्टिंग समय, उपस्थिति, बायोमीट्रिक विवरण, टर्मिनल/सीट आवंटन आदि के संबंध में बुलावा पत्र में विस्तार से निर्देशों का उल्लेख किया जाएगा।
- vi) परीक्षा कक्ष/हॉल में प्रवेश की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति यथा निर्धारित दर्ज करवाएं जो अनुपस्थिति विवरण के लिए आधार बनेगा। सीबीटी परीक्षा में भाग लेने के साक्ष के रूप में सभी उपस्थित अभ्यर्थियों के दोनों अंगूठों का निशान बायोमेट्रिक में और हस्ताक्षर लिया जाएगा।
- vii) संबंधित कक्ष/हॉल में प्रवेश करने के बाद, अभ्यर्थी अपने आवंटित स्थान पर बैठेंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष में कोई पुस्तक या पुस्तक के पन्ने, कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, किसी भी विवरण के गैजेट या आपस में बातचीत करने या परीक्षा हॉल/कक्ष के बाहर किसी भी व्यक्ति जो बातचीत करने में सख्त प्रतिबंध है। प्रत्येक परीक्षा हॉल/कक्ष की सीसीटीवी द्वारा निगरानी/विडीयोग्राफी इस प्रकार की जाएगी कि परीक्षा के

दौरान अभ्यर्थियों के चेहरे कैमरे में कैद हो जाएं जिससे प्रतिक्रिया की संभावना से बचा जा सके ।

- viii) अभ्यर्थी अपने निर्दिष्ट अनुक्रमांक एवं अन्य विवरण निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे ।
- ix) परीक्षा खत्म होने तक किसी भी अभ्यर्थी को हॉ/कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है । परीक्षा समाप्त होने के बाद अध्यक्ष, केन्द्रीय भर्ती समिति से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार संबंधित एजेंसी द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।
- x) सीबीटी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करना(अनु.जा. एवं अनु.जन.जा. अभ्यर्थी के लिए 30% अंक) आवश्यक है ।
- xi) अभ्यर्थियों द्वारा भारतीय रेल के वेबसाइट से डाउनलोड किए इ-कॉल लेटर डाउनलोड संबंधी सूचना वेबसाइट साथ ही निजी ई-मेल द्वारा अभ्यर्थियों को दी जाएगी ।

कुल अवधि - 90 मिनट

प्रश्नों की संख्या - 120

- ए) **सामान्य ज्ञान(50 अंक)-** प्रश्नों का उद्देश्य उनके आस-पास के परिवेश और समाज के लिए आवेदन के अभ्यर्थी की सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा; वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकनों और अनुभवों के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है । इस परीक्षा में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।
- बी) अंकगणित(35 अंक)- संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, दशमलव और अंशों और संख्याओं, मौलिक अंकगणितीय परिचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिका और ग्राफ का उपयोग, मेंसुरेशन, समय और दूरी, अनुपात और समानुपात इत्यादि ।
- सी) सामान्य बुद्धि और तर्क(35 अंक)- समानता, समानताएं और अंतर, स्थानिक दृष्टा, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या निवारण विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेने, दृश्य स्मृति, भेदभाव अवलोकन, रिश्ते की अवधारणाओं, अंकगणितीय त्रक, मौखिक और आकृति वर्गीकरण, अंकगणित पर प्रश्न संख्या श्रृंखला, गैर-मौखिक श्रृंखला कोडिंग और डिकोडिंग, स्टेटमेंट निष्कर्ष, शब्दावली तर्क आदि

चरण - 2 - शारीरिक दक्षता परीक्षा(पीईटी) एवं शारीरिक माप(पीएमटी)

सीबीटी में अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को पीओटी और पीएमटी के लिए क्षेत्रीय रेलवे/आरपीएसएफ के समूह में वर्गीकृत कुल रिक्ति के 10 गुणा तक बुलाया जाएगा । हालांकि, सभी अधिसूचित पदों के लिए पर्याप्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस सीमा को बढ़ाया/घटाया जा सकता है । शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना(पीईटी) अनिवार्य है और आगे के लिए योग्यता प्राप्त करेगा । कोई अंक नहीं दिया जाएगा । पीईटी के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	1600 मीटर दौड़	800 मीटर दौड़	लंबी कूद	ऊंची कूद
उप-निरीक्षक(कार्यपालक) पुरुष	6 मि. 30 सेकेंड	-	12 फीट	3 फीट 9 इंच
उप-निरीक्षक(कार्यपालक) महिला	----	4 मिनट	9 फीट	3 फीट

- (i) 1600/800 मीटर के लिए केवल एक अवसर दिया जाएगा। शेष जैसे लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए, अभ्यर्थियों को प्रत्येक के लिए दो अवसर दिए जाएंगे।
- (ii) पूर्व सैनिकों को पीईटी से छूट दी जाएगी, हालांकि, उन्हें पीएमटी से गुजरना होगा।
- (iii) विचाराधीन होने के लिए पात्र होने के अनुसार अभ्यर्थी को सभी टेस्ट में अर्हता प्राप्त करनी होगी।
- (iv) 1600 मीटर / 800 मीटर में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उंचाई और छाती के संबंध में योग्यता के लिए मापा जाएगा। छाती माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। यदि पुरुष अभ्यर्थी की अप्रत्याशित छाती माप योग्यता सीमा से कम है, तो विस्तारित माप नहीं ली जाएगी और उसे अयोग्य माना जाएगा।
- (v) पुरुष अभ्यर्थी जिनके पास न्यूनतम उंचाई नहीं है, उन्हें छाती के माप के लिए नहीं माना जाएगा और उन्हें अयोग्य माना जाएगा।
- (vi) अभ्यर्थी जिनकी न्यूनतम उंचाई नहीं है, छाती(अप्रत्याशित/विस्तारित) को पीएमटी में विफल माना जाएगा।
- (vii) पीईटी/पीएमटी प्रकृति में योग्यता प्राप्त करने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा।
- (viii) उंचाई और छाती माप से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किया जाएगा

चरण - III: दस्तावेजी सत्यापन

- i) सीबीटी में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर और पीईटी और पीएमटी में उनकी योग्यता के अधीन, अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
- ii) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने के मामले में, उनकी योग्यता स्थिति अधिक आयु वाले मानदंडों द्वारा निर्धारित की जाएगी यानी वृद्ध व्यक्ति को उच्च वरिष्ठता दी जाएगी।
- iii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेडिकल फिटनेस टेस्ट, शैक्षिक और श्रेणी प्रमाण पत्र के अंतिम सत्यापन, स्थानीय प्रशासन से अभ्यर्थियों के चरित्र और पूर्ववर्ती सत्यापन और प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफल समापन के अधीन है।।
- iv) अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि सीआरसी केवल सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करता है और नियुक्ति केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा ही दी जाती है।
- v) अभ्यर्थी जो दस्तावेज़ सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है उसे लिखित परीक्षा और पीईटी/पीएमटी में सम्मिलित होने के बावजूद अंतिम चयन योग्य नहीं माना जाएगा।

प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्वयं प्रमाणित फोटो प्रतियों को पीईटी/पीएमटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में सत्यापन के लिए आवश्यक होंगी।

- उम्र के प्रमाण के रूप में 10 वीं / मैट्रिक प्रमाण पत्र।
- शैक्षिक योग्यता के रूप में स्नातक प्रमाण पत्र।
- केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (अ.जा./अ.ज.जा./अपिवर्ग अभ्यर्थियों के लिए)।
- पूर्व सैनिक के लिए निर्वहन-प्रमाण पत्र।
- स्वयं प्रमाणित रंगीन फोटो की दो प्रतियां ।
- सरकारी कर्मचारियों के मामले में वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ।
- यथा लागू अधिवास प्रमाण पत्र ।

नोट -1: अभ्यर्थियों जो, रिक्तियों में आरक्षण/या उम्र छूट चाहते हैं, को दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से मूल/आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अ.जा./अ.ज.जा./अपिवर्ग/पूर्व सैनिक स्थिति के लिए उनके दावे को मान्य नहीं किया जाएगा और पात्र होने पर उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन सामान्य (यूआर) श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा । किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

नोट - 2: सभी प्रमाणपत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में होना चाहिए। यदि प्रमाणपत्र अंग्रेजी / हिंदी में नहीं हैं, तो स्वयं-प्रमाणित अनुवादित संस्करण (हिंदी / अंग्रेजी में) कहीं भी / जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाए ।

नोट - 3: अल्पसंख्यकों का मतलब मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और जोरोस्ट्रियन (पारसी) (आगे संशोधन, यदि कोई है, इस केंद्रीकृत रोजगार नोटिस की समाप्ति तिथि तक प्राप्त हुआ)। परीक्षा शुल्क के छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय 'अल्पसंख्यक श्रेणी घोषणा' शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे उपर्युक्त अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित हैं । यदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है, तो अभ्यर्थिता खारिज कर दी जाएगी । आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटर हेड पर निर्धारित प्रारूप में जारी आय प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय जमा करना होगा।

नोट - 4: आगे, अपिवर्ग अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाणपत्रों को विशेष रूप से उल्लिखित होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम -3 में वर्णित व्यक्तियों / वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है, कार्मिक विभाग और प्रशिक्षण OMNo.36012 /

22/93-EsttI (एससीटी)) दिनांक 08.09.1993 और इसके बाद के संशोधन ओएमएनओ 36033/3/2004-ईएसटीटी (रेस) दिनांक 09.03.2004 के माध्यम से, और आगे संशोधन, यदि कोई हो, इस केंद्रीकृत रोजगार नोटिस की समाप्ति तिथि तक प्राप्त हुआ।

नोट - 5: आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल होने पर जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर अभ्यर्थी को अर्हक नहीं माना जाएगा। इस मामले में अभ्यर्थी को अनारक्षित माना जाएगा। मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी प्रारूप में उत्पादित किया गया है, या जहां दावा किया गया है कि कोई प्रमाण पत्र चोरी/चोरी हो गया है (एफआईआर द्वारा किया गया दावा) ऐसे मामले में अभ्यर्थी को केवल चार (4) सप्ताह का समय दिया जाएगा।

9. आवेदन कैसे करें: ऑनलाइन आवेदन जमा करने के चरण -

सब-इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें और निम्नलिखित कार्य करें:

ए) पुष्टि करें कि आपने चेक बॉक्स पर क्लिक करके स्पष्ट रूप से निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

बी) अपना नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम, मां का नाम, आधार संख्या (वैकल्पिक), राज्य / संघ राज्य, श्रेणी, शिक्षा बोर्ड, 10 वीं / मैट्रिक रोल संख्या, 10 वीं / मैट्रिक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पास करने का वर्ष दर्ज करें और फिर पंजीकरण के लिए जमा करें। पंजीकरण के लिए जमा करने से पहले, सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही हैं क्योंकि पंजीकरण के लिए प्रस्तुत विवरण बाद में नहीं बदला जा सकता है।

सी) पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड अभ्यर्थी को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा, ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और पंजीकरण विवरण के साथ ईमेल भी भेजा जाएगा। अभ्यर्थी को ईमेल और मोबाइल से ओटीपी प्राप्त करें और फिर आवेदन भरने और भुगतान करने के लिए आगे बढ़ने के लिए लॉगिन करें। अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया के बाद के संदर्भ के लिए अपना पंजीकरण संख्या नोट और संरक्षित करें। केंद्रीय भर्ती समिति पंजीकरण संख्या मांगने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगी।

डी) आवेदन के ऑनलाइन प्रारूप में शैक्षिक योग्यता, लिंग, धर्म, ईएसएम, और अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आयु में छूट, पात्रता श्रेणी लागू होने और अन्य विवरण के क्षेत्र हैं।

ई) उपर्युक्त आवेदन विवरण पूरा करने पर अभ्यर्थी को भुगतान मोड का चयन करने के लिए भुगतान पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा अर्थात बैंक (ऑनलाइन-> नेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड और ऑफलाइन-> अन्य मोड-> चालान के लिए बैंक शाखा) या डाकघर चालान और भुगतान प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। कृपया प्रत्येक भुगतान विधि के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय नोट करें और समय पर आवेदन जमा करें।

एफ) ऑनलाइन भुगतान के मामले में, अभ्यर्थी को अतिरिक्त विवरण भरने के लिए स्वतः ही आवेदन के भाग II पर निर्देशित किया जाएगा। जो बैंक-ऑफलाइन मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे, भुगतान पुष्टि में लगभग एक घंटे का समय लग सकता है और इसलिए उन्हें 60 मिनट के बाद फिर से लॉगिन करनी होगी और भुगतान की स्थिति की पुष्टि करनी होगी। डाकघर भुगतान के मामले में भुगतान पुष्टि के लिए समय अवधि 24 घंटे से 48 घंटे तक हो सकती है। पुष्टि स्थिति प्राप्त करने पर, अभ्यर्थी आवेदन के शेष भाग (भाग III) को भरना शुरू करेंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में लाभार्थी खाते का ब्योरा जैसे लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड देना होगा, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं।

आवेदन के भाग III में निम्नलिखित क्षेत्र होंगे: शैक्षिक योग्यता का विवरण, समूह का चुनाव और क्षेत्र/आरपीएसएफ की वरीयता, सीबीटी आदि के लिए परीक्षा माध्यम का चुनाव: -

क्षेत्र/आरपीएसएफ का विकल्प: अभ्यर्थी समूह का चयन करेगा और उस समूह में आने वाले क्षेत्रीय रेलवे की अपनी प्राथमिकता को इंगित करेगा (समूह ई और एफ को छोड़कर)। ग्रुप ई और एफ का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के पास केवल क्रमशः एनएफ रेलवे और आरपीएसएफ का विकल्प होगा। एक बार समूह का चयन करने के बाद अभ्यर्थियों को केवल उस विशेष समूह की रिक्तियों के लिए पात्र माना जाएगा।

सीबीटी के लिए परीक्षा - भाषा का विकल्प: अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के लिए निम्नलिखित भाषायी विकल्प होंगे, जिनमें से उन्हें किसी एक को भी चुनना होगा: - हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली, ओडिया, पंजाबी, असमिया और मणिपुरी।

जी) रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करना: अपलोड फोटो टैब का चयन करें और अपनी हाल की रंगीन फोटो अपलोड करें। फोटो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करती हो :

- सफेद / हल्के रंग के बैकग्राउंड के साथ रंगीन पासपोर्ट फोटो।
- आकार 35 मिमी X 45 मिमी के आकार और उस पर मुद्रित दिनांक सहित फोटो।
- यह 100 डीपीआई के साथ स्कैन किए गए जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए।
- तस्वीर का आकार 15 - 40 केबी के बीच होना चाहिए।

- एक पेशेवर स्टूडियो में रंगीन तस्वीर खिंचाई जा सकती है। मोबाइल और स्वयं खींची गई पोर्ट्रेट या सेल्फी का उपयोग करके ली गई तस्वीरों के परिणामस्वरूप आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी की स्पष्ट फोटो बिना कैप और धूप-चश्मा की होनी चाहिए।
- चेहरा कैमरे को सीधे कम से कम 50% भाग का क्षेत्र की लेनी चाहिए।
- चेहरे के मुख्य अंश सिर के बालों, किसी भी कपड़े या किसी भी छाया से ढका नहीं होना चाहिए।
- माथे, आंखें, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- यदि अभ्यर्थी ग्लास पहनता है, तो तस्वीर में चश्मे पर कोई चमक नहीं होनी चाहिए।
- तस्वीर सीबीटी, पीईटी, पीएमटी और डीवी के विभिन्न चरणों के दिन उपस्थित अभ्यर्थी से मेल खानी चाहिए।

एच) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार और उपयोग के लिए उसी तस्वीर की कम से कम 12 (बारह) प्रतियां रखें।

आई) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा प्राधिकार (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने अ.जा./अ.ज.जा. प्रमाणपत्र (जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप, 50 केबी - 100 केबी) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी।

जे) अंत में, अभ्यर्थियों को घोषणा की पुष्टि करनी है "मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने इस आवेदित पद के लिए पात्रता मानदंडों को पढ़ और समझ लिया है, उसके सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हूँ, और आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और पूर्ण हैं और कुछ भी छुपा या दबाया नहीं गया है। मैं यह भी समझता हूँ कि यदि कोई भी विवरण भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद असत्य पाया जाता है रेलवे प्रशासन मुझे आवेदित पद के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है और/या मैं मौजूदा नियमों के तहत किसी भी अन्य कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँगा"। उपरोक्त घोषणा की पुष्टि करने और आवेदन जमा करने के बाद पूरे आवेदन को एक बार फिर पुष्टि के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, अभ्यर्थी आवेदन का प्रिंट ले सकता है और इसे संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए संरक्षित रख सकता है।

10.आवेदन का संशोधन:

ए) ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद, यदि अभ्यर्थी आवेदन में अनजान त्रुटियों को सही करने के लिए मामूली परिवर्तन करना चाहते हैं, तो राज्य, ईमेल और मोबाइल नंबर के अलावा अन्य डेटा में सुधार के लिए संशोधन शुल्क 250/-

का भुगतान करके किया जा सकता है, जो वापस नहीं किया जाएगा। संशोधन शुल्क, शुल्क रियायती श्रेणियों सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा और यह शुल्क किसी भी श्रेणी के लिए वापस नहीं किया जाएगा। पंजीकरण और आवेदन विवरण में संशोधन केवल दो बार किया जा सकता है।

ख) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी दी जाती है कि यदि वे अपने आवेदन को संशोधित करना चाहते हैं, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने की समाप्ति तिथि और पर्याप्त समय से पहले अच्छी तरह से कार्य करें। यदि, अंतिम मिनट की भीड़ के कारण, संशोधन प्रयास किसी भी स्तर पर विफल रहता है, और संशोधन को सेव या समय में सबमिट नहीं किया गया, तो आवेदन में प्रस्तुत की गई पूर्व सूचना पर विचार किया जाएगा और इस विषय पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

सी) पंजीकरण संख्या, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बदला नहीं जा सकता है।

घ) आवेदन के संशोधन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है।

- इ-ऑनलाईन/इ-आवेदन" लिंक
- संशोधित आवेदन 'लिंक पर क्लिक करें।
- पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करें।
- वास्तविक परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए उपलब्ध किसी भी माध्यम से संशोधन शुल्क का भुगतान करें। सुनिश्चित करें कि भुगतान तिथि और समय के भीतर अच्छी तरह से हो गया है।
- भुगतान करने के बाद, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें, फिर दिए गए निर्देशों के अनुसार किए गए परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ें और आवेदन जमा करें। रिकॉर्ड के लिए नवीनतम आवेदन के प्रिंट आउट को सुरक्षित रखें।

11. अमान्य आवेदन / अस्वीकृति:

ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित आधार पर अस्वीकृत किए जा सकते हैं:

ए) काले और सफेद फोटो, टोपी के साथ फोटो या चश्मा पहनने के कारण अमान्य फोटो। फोटो जो डिफिगर, छोटे आकार, पूर्ण शरीर, चेहरे का केवल एक भाग दृश्य हो, अपरिचित फोटो, फोटो की फोटोस्टैट प्रतिलिपि, सामूहिक फोटो, नाम और तारीख के बिना फोटो और बिना अभ्यर्थी के अन्य लोगों के बीच फोटो।

ख) एकाधिक आवेदनों के मामले में, सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा।

सी) केन्द्रीय भर्ती समिति द्वारा देखी गई कोई अन्य अनियमितता जिसे अमान्य करार दिया गया है।

घ) यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया गया हो, तो अभ्यर्थी अस्वीकार करने का कारण और अपनी स्थिति वेबसाइट पर ऑनलाइन देख पाएंगे जो कि अंतिम और बाध्यकारी है और इस विषय पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अस्वीकार होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाईल नंबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

ई) अन्य आधार:

- आवेदन पत्र में कोई गलत जानकारी,
- किसी योग्यता मानदंड की पूर्ति नहीं होना,
- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में उचित स्थान पर घोषणाएं न करना,
- अपूर्ण आवेदन,
- आयु वर्ग के तहत अभ्यर्थियों की आयु / (फॉर्म में घोषणा के अनुसार) न होना,
- अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने की समाप्ति तिथि पर आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहीं होना.

12. सीबीटी के लिए हॉल टिकट (ई-कॉल लेटर):

- (i) अभ्यर्थी वेबसाइट से अपनी पात्रता स्थिति की जांच कर सकते हैं। ई-बुलावा पत्र अपलोड विवरण के बारे में सभी योग्य अभ्यर्थियों को एसएमएस और ईमेल संदेश भेजे जाएंगे।
- (ii) रंगीन फोटो को स्कैन किया जाएगा और कॉल लेटर पर प्रिंट किया जाएगा।
- (iii) योग्य अभ्यर्थी सीबीटी / पीईटी / पीएमटी / दस्तावेज सत्यापन की तारीख से 10 दिन पहले भारतीय रेलवे वेबसाइट से ई-बुलावा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं(यथा लागू)।
- (iv) अभ्यर्थियों को डाक द्वारा कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।
- (v) अभ्यर्थियों को ई-बुलावा पत्र पर लिखे निर्देशों को सतर्कतापूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें।
- (vi) निर्देशों का अनुपालन करने में विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द किया जा सकता है।
- (vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्होंने निःशुल्क यात्रा प्राधिकार(स्लीपर क्लास रेलवे पास) का लाभ उठाने के लिए अपने श्रेणी प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड किया है, उनके सीबीटी / पीईटी / पीएमटी / डीवी (यथा लागू) के लिए ई-बुलावा पत्र में निःशुल्क यात्रा प्राधिकार होगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को ई-कॉल लेटर और अ.जा./अ.ज.जा. प्रमाणपत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति जमा करने पर टिकट बुक करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान, इन अभ्यर्थियों को मूल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, प्रमाण-पत्र रखना चाहिए और यात्रा के दौरान निर्धारित मूल प्रमाण-पत्र दिखाने में विफल होने पर उन्हें बिना टिकट यात्री के रूप में माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।
- (viii) अभ्यर्थियों को एक वैध फोटो आईडी (जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार का पास, पासपोर्ट, एक सरकारी कर्मचारी के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ अपने

ई-कॉल पत्रों को रखना होगा, स्कूल / कॉलेज / यूनिवर्सिटी फोटो आईडी कार्ड परीक्षा कक्ष में मूल में, विफल होने पर अभ्यर्थियों को सीबीटी / पीईटी / पीएमटी / डीवी (यथा लागू) के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ix) अभ्यर्थियों को सीबीटी / पीईटी / पीएमटी / डीवी (यथा लागू) के लिए एक रंगीन फोटो (आकार 35 मिमी एक्स 45 मिमी) भी रखा जाए जिसे आवेदन में अपलोड किया गया था, जिसमें अभ्यर्थी स्पष्ट दिखता हो। अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आने के दौरान स्वयं घोषणा अनुच्छेद, हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे का निशान (एलटीआई) को लिखने के लिए डाउनलोड किए गए ई-बुलावा पत्र में प्रदान किए गए स्थान को रिक्त छोड़नी चाहिए। अभ्यर्थी को परीक्षा घोषणापत्र में परीक्षक की उपस्थिति में सीबीटी के स्थान पर स्वयं घोषणा अनुच्छेद को लिख कर हस्ताक्षर और प्रत्यक्ष बाएं अंगूठे का निशान देना होगा, और परीक्षा के समापन से पहले इसे परीक्षक को सौंपना होगा।

(x) सभी योग्य अभ्यर्थियों को ई-बुलावा पत्र अपलोड विवरण के बारे में एसएमएस और ई-मेल द्वारा संदेश भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी को दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के अंत तक अपने मोबाइल नंबर और ईमेल सक्रिय रखना चाहिए। सीआरसी बाद के चरण में मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में बदलाव के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा।

(xi) केन्द्रीय भर्ती समिति अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि और सत्र में किसी भी बदलाव के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

नोट-1: - स्कैन किए गए दस्तावेज़ जेपीईजी प्रारूप को आवेदन भरने से पहले तैयार रखा जाए। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन को तेजी से भरने के लिए, उन्हें आवेदन पृष्ठ में लॉग इन करने से पहले निम्नलिखित फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में तैयार रखना चाहिए।

- अभ्यर्थियों की रंगीन फोटो: आकार 15 से 40 केबी की जेपीईजी छवि
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (केवल अभ्यर्थियों के लिए जो मुफ्त यात्रा पास चाहते हैं): आकार 50 से 100 केबी की जेपीईजी छवि।

13. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी: -

- (i) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) सभी समूहों के लिए एक साथ आयोजित की जाएगी।
- (ii) निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन परीक्षा में उनका प्रवेश पूरी तरह से अस्थायी होगा,
- (iii) अभ्यर्थियों को ई-बुलावा पत्र जारी करना का अर्थ यह नहीं कि उनकी अभ्यर्थिता अंततः सीआरसी द्वारा स्वीकार की गई है।
- (iv) केवल अभ्यर्थियों के परीक्षा के सभी चरणों में योग्यता प्राप्त करने के बाद सीआरसी मूल दस्तावेजों के संदर्भ में योग्यता शर्तों का सत्यापन करेगा, सीआरसी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यदि अभ्यर्थी आवश्यक मानदंड को पूरा नहीं करते हैं तो वह अभ्यर्थियों के आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है, और नियुक्त होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सेवा से सरसरी तौर पर हटा सकता है।

- (v) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे रोजगार सूचना के लिए आवेदन जमा करने की तारीख को मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त हैं। जो निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे पात्र नहीं होंगे और इसलिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- (vi) नाम / पिता के नाम / श्रेणी / फोटो (चेहरे) / शैक्षिक योग्यता जैसे विभिन्न विवरणों के साथ एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों को खारिज कर दिया जाएगा।

14. चिकित्सा परीक्षा:

दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों को रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल में निर्धारित मेडिकल श्रेणी 'बी -1' में उन्हें अर्हता प्राप्त करनी होगी। चश्मा पहने हुए या फ्लैट पैर रखने वाले, घुटने टेकना, स्किवंट आंखें, रंग अंधापन और अन्य शारीरिक दोष नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं। चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजना रोजगार की गारंटी नहीं देगा और यह भी नहीं दर्शाता कि अभ्यर्थी को चयन सूची में शामिल कर लिया गया है।

15. प्रशिक्षण:

चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे प्रशासन द्वारा तय आरपीएफ / आरपीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र या किसी अन्य संस्थान में किसी भी कठोर प्रारंभिक प्रशिक्षण से गुजरना होगा। प्रशिक्षु भर्ती / कैडेटों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान रेलवे नियमों के तहत रु35,400 / - साथ ही अन्य भत्ते के रूप में देय है। प्रशिक्षण के अंत में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना बल में नियुक्ति के लिए जरूरी है।

16. विविध:

- (ए) सभी अनुलग्नक के साथ संपूर्ण रोजगार सूचना <http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/> की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।
- (बी) यदि भर्ती की प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक के आवेदन में कोई अनियमितता / कमी देखी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार करने का अधिकार सीआरसी सुरक्षित रखता है।
- (सी) केन्द्रीय भर्ती समिति के पास किसी भी स्तर पर अतिरिक्त सीबीटी / पीईटी / पीएमटी / डीवी आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित है। सीआरसी किसी भी कारण के बिना इस रोजगार नोटिस में अधिसूचित किसी भी चरण में किसी भर्ती प्रक्रिया के भाग या पूरे को पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (डी) आवेदनों की योग्यता, स्वीकृति या अस्वीकृति मुफ्त रेलवे पास जारी करना, झूठी सूचना के लिए दंड कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, सीबीटी का आचरण, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में सीआरसी का निर्णय, अभ्यर्थियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में सीआरसी द्वारा कोई पूछताछ या पत्राचार का स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- (ई) सीआरसी किसी भी प्रकार की अनजान त्रुटियों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
 (एफ) इस रोजगार नोटिस से उत्पन्न कोई भी कानूनी मुद्दा संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कानूनी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। जिसके अंतर्गत सीआरसी स्थित है।
 (जी) व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, रोजगार समाचार और भारतीय रेलवे वेबसाइट में प्रकाशित अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा।

लिखित परीक्षा संभवतः सितंबर और अक्टूबर 2018 के महीने में आयोजित होगी। सीआरसी के पास बिना किसी सूचना के परीक्षा की तारीख बदलने का अधिकार सुरक्षित है। सीआरसी उन शहरों को बदलने/हटाने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है जहां प्रतिक्रिया और अनिवार्यताओं के आधार पर सीबीटी / पीईटी / पीएमटी / डीवी आयोजित की जानी है और देश में कहीं भी सीबीटी / पीईटी / पीएमटी / डीवी आयोजित कर सकते हैं और सीआरसी द्वारा आवंटित केंद्र अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(अतुल पाठक)

अध्यक्ष

केन्द्रीय भर्ती समिति/उप-
निरीक्षक

चेतावनी

रेलवे में या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों के उपयोग से नौकरी सुरक्षित करने के झूठे वादों से धोखा देने की कोशिश करने वाले दलालों और नौकरी रैकेटियर से सावधान रहें। सीआरसी ने अपनी ओर से कार्रवाई के लिए कोई एजेंट या कोचिंग सेंटर नियुक्त नहीं किया है। अभ्यर्थियों को व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए गए किसी भी दावे के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। अभ्यर्थियों को योग्यता के अनुसार पूरी तरह से चुना जाता है। कृपया बेईमान तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न पड़ें। केन्द्रीय भर्ती समिति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

अभ्यर्थियों को केवल उपरोक्त अधिसूचना में उल्लिखित <http://www.indianrailways.gov.in> की आधिकारिक वेबसाइट से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वे बेईमानी तत्वों/दलालों द्वारा चलाई जा रही नकली वेबसाइटों से सावधान रहें।

रेल सुरक्षा बल एवं रेल सुरक्षा विशेष बल
अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए जाति प्रमाणपत्र की प्रपत्र

एक अभ्यर्थी जो निर्धारित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों में से किसी एक का दावा करता है उसे अपने दावे के समर्थन में, नीचे दिए गए प्रपत्र में जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप-मंडल अधिकारी या नीचे यथा सूचित जिला के अन्य अधिकारी द्वारा, जहां उसके माता-पिता(या उत्तरजीवी माता-पिता) साधारणतः रहते हैं, और जिसे इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया है, द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक स्वप्रमाणित प्रति जमा करना चाहिए। यदि माता-पिता दोनों ही जीवित नहीं हैं, तो हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जहां का अभ्यर्थी स्वयं निवासी है अन्यथा अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य से उस जिले में रह रहा है। जहां कहीं भी, तस्वीर प्रमाण पत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, रेलवे सुरक्षा बल ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल स्वप्रमाणित फोटोकॉपी स्वीकार करेगा और कोई अन्य प्रमाणित या प्रतिलिपि नहीं। (भारत सरकार के अधीनस्थ पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित	किया	जाता	है	कि
श्री/श्रीमती/कुमारी.....				
पुत्र/पुत्री.....				
.....				
गांव/शहर.....				
.....				
जिला/मंडल.....				
.....				
राज्य/संघ				
राज्य.....				
.....				

.....जाति/जनजाति से संबंधित है जिसे निम्नलिखित के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में स्वीकार किया गया है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 *संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950*

संविधान(अनुसूचित जाति)*(संघ राज्य) आदेश, 1951*

संविधान(अनुसूचित जाति)*(संघ राज्य) आदेश, 1951*

(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची(संशोधन) आदेश-1956 द्वारा यथा संशोधित, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम-1966, हिमाचल प्रदेश राज्य के अधिनिय-1970 एवं

उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम-1971) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम,1976 ।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश,1956* ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम,1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान(अंडमान एवं निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजाति आदेश,1956 ।

संविधान(दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962* ।

संविधान (पॉण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964* ।

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967* ।

संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968* ।

संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968* ।

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970* ।

श्री/श्रीमती/कुमारी*..... और/या
 उसका परिवार, गांव/शहर
 जिला/मंडल
 राज्य/संघ राज्य में रहते हैं।
 हस्ताक्षर..... पदनाम.....(कार्यालय की मुहर
 सहित) राज्य/संघ राज्य*

स्थान: _____

तारीख: _____

- कृपया उन शब्दों को हटाएं जो लागू नहीं हैं । कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धरण करें।

नोट: - यहां इस्तेमाल किए गए शब्द "सामान्य रूप से रहते हैं" का अर्थ पीपुल्स एक्ट, 1950 के प्रतिनिधित्व की धारा 20 में दिए गए अर्थ के समान होगा ।

** जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी:

** जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/कलेक्टर/उप आयुक्त/अतिरिक्त उप आयुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी छात्रवृत्ति न्यायाधीश/सिटी न्यायाधीश/ उप/मंडल न्यायाधीश/तालुका न्यायाधीश/कार्यकारी न्यायाधीश/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतिनिक न्यायाधीश के पद से नीचे नहीं) मुख्य प्रेसीडेंसी न्यायाधीश/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी न्यायाधीश/प्रेसीडेंसी न्यायाधीश/ राजस्व अधिकारी जो अभ्यर्थी और/या उनका परिवार आम तौर पर जहां रहता है उस क्षेत्र के तहसीलदार/उप-मंडल अधिकारी के पद से नीचे नहीं है ।

नोट: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी केवल मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र ही जमा करेंगे ।

**रेल सुरक्षा बल एवं रेल सुरक्षा विशेष बल
पिछडा वर्ग जाति के लिए जाति प्रमाणपत्र की प्रपत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री
श्री.....

गांव/शहर.....

जिला..... राज्य.....

पिछडा वर्ग द्वारा स्वीकृत..... श्रेणी से निम्नलिखित के तहत संबंधित है:-
(ऊपर उप जाति दर्शाएं)

1. भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/68/93-बीसीसी दिनांक 10 सितंबर,1993 अतिरिक्त भाग-1, धारा-1, सं.186, दिनांक 13 सितंबर, 1993 ।
2. भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर,1994 अतिरिक्त भाग-1, धारा-1, सं.163, दिनांक 20 अक्टूबर,1994 ।
3. भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24 मई,1995 अतिरिक्त भाग-1, धारा-1, सं.88, दिनांक 25 मई,1995 ।
4. भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/44/96-बीसीसी दिनांक 6 दिसंबर,1996 अतिरिक्त भाग-1, धारा-1, सं.210, दिनांक 11 दिसंबर,1996 ।
5. भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/68/93-बीसीसी अतिरिक्त सं.129, दिनांक 8 जुलाई,1997 ।
6. भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/12/96-बीसीसी अतिरिक्त सं.164 दिनांक 1 सितंबर,1997 ।
7. भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/99/94-बीसीसी अतिरिक्त सं.129, दिनांक 8 जुलाई,1997 एवं 11 दिसंबर,1997 ।
8. भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/13/97-बीसीसी अतिरिक्त सं.239, दिनांक 3 दिसंबर,1997 ।
9. भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/12/96-बीसीसी अतिरिक्त सं.166, दिनांक 3 अगस्त,1998 ।
10. भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/68/9 3-बीसीसी अतिरिक्त सं.171, दिनांक 6 अगस्त,1998 ।
11. भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/68/98-बीसीसी अतिरिक्त सं.241, दिनांक 27 अक्टूबर,1999 ।
12. भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/88/98-बीसीसी अतिरिक्त संख्या 270, दिनांक 6 दिसंबर,1999 ।

13. भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/36/99-बीसीसी अतिरिक्त संख्या 71, दिनांक 4 अप्रैल,2000 ।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या उसका परिवार सामान्य रूप सेराज्य के.....जिला/मंडल में रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंध नहीं रखते हैं । डीओपीटी कार्यालय जापन सं. 36033/3/2004-Estt.(Res) दिनांक 09-03-2004 ।

जिला न्यायाधीश, उप आयुक्त ईटीसी
(कार्यालय की मुहर सहित)

- जो भी लागू नहीं है काट दें ।

नोट: (क) यहां इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द 'ordinarily' का अर्थ पीपुल्स एक्ट,1950 के प्रतिनिधित्व की धारा 20 में दिए गए अर्थ के समान होगा । (ख) जाति प्रमाण पत्र जारी वाले सक्षम प्राधिकरण निम्नलिखित हैं: (i)जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश/कलेक्टर/उप आयुक्त/अतिरिक्त उप आयुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के छात्रवृत्ति न्यायाधीश/उप-मंडल न्यायाधीश/तालुका न्यायाधीश (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी न्यायाधीश/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी न्यायाधीश/प्रेसीडेंसी न्यायाधीश (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं हैं, और (iv) क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उनका परिवार साधारण तौर पर रहता है।

अपिबर्ग प्रमाणपत्र रोजगार सूचना के समापन की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होनी चाहिए ।

रेल सुरक्षा बल एवं रेल सुरक्षा विशेष बल

रोजगार सूचना सं..... के तहत पदों के लिए आवेदन करते समय आवेदन के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए जाने वाली घोषणापत्र के लिए प्रपत्र "मैं.....

पुत्र/पुत्री.....

गांव/शहर.....

जिला.....

राज्य..... का निवासी एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं(आपकी उप जाति उल्लेख करें) जाति से संबंधित हूं जिसे डीओपीटी की जापन सं.36012/22/93-Estt.(SCT) दिनांक 08.09.1993 में उल्लिखित आदेश के अनुसार रोजगार में आरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में स्वीकृत किया गया है" । यह भी घोषणा करता हूं कि मैं डीओपीटी की दिनांक 08.03.1993 का कार्यालय जापन और दिनांक 09.03.2004 का कार्यालय जापन सं.36033/3/2004 की अनुसूची के कॉलम 03 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं ।

स्थान:

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम

आय प्रमाण पत्र का प्रारूप जिसे जारी करने वाले प्राधिकरण के लेटर हेड पर जारी किया जाना है

रेल सुरक्षा बल परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क से छूट पाने हेतु
(केवल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए)

1. अभ्यर्थी का नाम :
.....
2. पिता का नाम :
.....
3. उम्र :
.....
4. घर का पता :
.....
.....
.....
5. वार्षिक पारिवारिक आय :
.....
..... (शब्दों में एवं अंकों में)
6. जारी किए जाने की तिथि :
.....
7. हस्ताक्षर
- नाम
8. जारीकर्ता प्राधिकारी का मुहर :

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का अर्थ उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/- रुपये से कम है। निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं-

1. जिला न्यायाधीश या तहसीलदार के स्तर तक अन्य कोई राजस्व अधिकारी ।

2. अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए वर्तमान सांसद(लोकसभा)
3. रेलवे द्वारा जारी इजाजत एमएसटी के लिए मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाणपत्र या बीपीएल कार्ड ।
4. केंद्रीय मंत्री भी देश के किसी भी कोने से किसी भी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष/आरपीएफ भर्ती समिति को सिफारिश कर सकते हैं ।
5. जिस जिले में वर्तमान सांसद(राज्यसभा) सामान्य रूप से रहते हैं वहां के लोगों के लिए ।

रेल सुरक्षा बल एवं रेल सुरक्षा विशेष बल

केन्द्रीय रोजगार सूचना सं..... के अंतर्गत पदों के लिए आवेदन के साथ अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए जाने वाले घोषणापत्र का प्रपत्र "मैं.....

पुत्र/पुत्री.....

गांव/शहर..... जिला.....

राज्य..... का निवासी एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं(आपका धर्म सम्मिलित करें) से संबंधित हूं जिसे भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में स्वीकृत किया गया है" । यह भी घोषणा करता हूं कि मैं डीओपीटी की दिनांक 08.03.1993 का कार्यालय ज्ञापन और दिनांक 09.03.2004 का कार्यालय ज्ञापन सं.36033/3/2004 की अनुसूची के कॉलम 03 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं ।

स्थान:

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम